संख्या-2/2024/77-1002(099)/1/2023/001-1571

प्रेषक,

अनीता चौधरी,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 10/01/2024

विषय :- टैक्सफेड समूह की बन्द पडी कताई मिलों की भूमि के औद्योगिक प्रयोग हेतु अशासकीय देनदारियों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम, कानपुर के पत्र संख्या-51/एसटीसी/लेखा/2023 दिनांक 17.07.2023, पत्र संख्या-71/एसटीसी/लेखा/2023 दिनांक 17.08.2023, पत्र संख्या- 74/एसटीसी/लेखा/2023 दिनांक 24.08.2023 एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर के पत्र संख्या- 162/एसवाईसी/वित्त/2023 दिनांक 17.07.2023, पत्र संख्या-21/एसवाईसी/वित्त/2023 दिनांक 24.08.2023 व प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर के पत्र संख्या- 908/एसएमएफ/2023-24 दिनांक 17.07.2023, पत्र संख्या-1004/एसएमएफ/2023-24 दिनांक 17.08.2023, पत्र संख्या- 1012/एसएमएफ/2023-24 दिनांक 24.08.2023 तथा शासनादेश संख्या- 1894/77-1-2023-77-1002(099)/1/2023, दिनांक 04.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 में उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम/यार्न/संघ लि0, कानपुर की मिलों के शासकीय देयताओं के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि के निस्तारण हेतु प्राविधानित धनराशि का मदवार विवरण एवं उक्त कंपनियों की स्वीकृत की जा रही अशासकीय देनदारियों का विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	**मदवार विवरण**	**बजट व्यवस्था (रू0 लाख में)**
1	लेखाशीर्ष- 2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-09- उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ लि./उ0प्र0 स्टेट यार्न कं. लि./उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं. लि./उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि. की मिलों के शासकीय देयताओं के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि का भुगतान-42-अन्य व्यय	87818.00

उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0 कानपुर

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	**विवरण**	**इकाईवार देयताएं**				**कुल देनदारियां**
		मेजा	**बांदा**	**रसडा**	**जौनपुर**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		(प्रयागराज)		(बलिया)		
(अ)	**शासकीय संस्थाओ की देयताएं**					
	यूपीएसटीसी (मूल धनराशि)	0.37	0.37	0.38	0.38	1.50
	यूपीएसटीसी (ब्याज)	-	-	-	-	-
	यूपीएसईबी - बिजली बकाया	0.49	0.74	2.60	0.53	4.36
	योग (अ)	2.39	2.64	4.52	2.45	12.00
(ब)	**बाण्डधारकों की देयतायें**					
	मूल धनराशि	3.10	3.11	3.11	3.11	12.43
	ब्याज	7.66	7.68	7.68	7.68	30.70
	योग (ब)	10.76	10.79	10.79	10.79	43.13
(स)	**अन्य देनदारियां**					
	कर्मचारियों की मूल बकाया राशि	0.97	0.92	0.73	0.57	3.19
	ई.पी.एफ. पर ब्याज एवं डैमरेज राशि (अनुमानित)	0.43	0.12	0.08	0.15	0.78
	आयकर की देयता	0.65	0.65	0.65	0.65	2.60
	आपूर्तिकर्ता / विभिन्न क्रेडिटर्स	1.92	1.94	1.97	1.46	7.29
	अन्य देनदारियां	0.24	0.21	0.19	0.03	0.67
	कार्मिकों की विवादित देयता	15.85	17.29	15.56	-	48.70
	योग (स)	20.06	21.13	19.18	2.86	63.23
	कुल योग (अ + ब + स)	**31.68**	**33.03**	**32.95**	**14.56**	**112.22**

<u>उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0 कानपुर</u>

उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की दिनांक 31.03.2023 तक की कुल अनुमानित अशासकीय देयताएं ब्याज सहित रू0- 227.65 करोड़ का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, चूंकि अशासकीय देयताओं में से शासकीय संस्थाओं की देयताओं के ब्याज की धनराशि का भुगतान नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है, अतएव उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की अशासकीय देयताओं के भुगतान हेतु धनराशि रू0 216.75 करोड़ निम्नवत विवरणानुसार निर्गत किया जाना प्रस्तावित है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र०सं०	**अशासकीय देयताओं का मदवार विवरण**	**मूल धनराशि**	**ब्याज**	**योग**
1	ऋण पत्र धारकों को देयता का भुगतान	1.04	-	1.04
2	कर्मचारियों की विवाद रहित देयता का भुगतान	52.87	-	52.87
3	आपूर्तिकर्ताओं की देयताओं का भुगतान	21.65	-	21.65

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	बाण्ड होल्डर्स की देयता:- 1. कुल 16 बाण्डधारक जिनके द्वारा बैठक में उपस्थित होकर प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई (ब्याज की गणना मूलधन पर परिपक्वता अवधि तक निर्धारित दर, तत्पश्चात 9.5 प्रतिशत की दर से 31.08.2023)	30.81	77.95	108.76
5	शासकीय संस्थाओं की देयता:- 1. नोएडा अथारिटी 2. उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर।	1.22 3.50	- -	1.22 3.50
6	विद्युत देयताएं:- 1. पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 2. पश्चिमान्चल विद्युत निगम लि0 3. मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0	16.74 9.85 1.12	- - -	16.74 9.85 1.12
	योग	138.80	77.95	216.75

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0 कानपुर

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की दिनांक 31.03.2023 तक की कुल अनुमानित अशासकीय देयताएं ब्याज सहित रू0-129.50 करोड़ का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, चूंकि अशासकीय देयताओं में से शासकीय संस्थाओं की देयताओं के ब्याज की धनराशि का भुगतान नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है, अतएव उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की अशासकीय देयताओं के भुगतान हेतु धनराशि रू0 93.71 करोड़ निम्नवत विवरणानुसार निर्गत किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र० सं०	विवाद रहित अशासकीय देयताओं का विवरण	धनराशि (रू० करोड में)
1.	बैकों की देयताये (ब्याज की गणना दिनांक 31.07.2023 तक 12% साधारण ब्याज की दर पर की गयी है)	30.85
2.	कर्मचारियों की देयतायें (मूलधन)	16.14
3.	आपूर्तिकर्ताओं की देयतायें (मूलधन)	12.88

बैकों की देयताये (रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	बैंक का नाम	मूलधन	ब्याज	योग
1.	बैंक आफ बड़ौदा	1.44	3.95	5.39
2.	सिण्डीकेट बैंक (वर्तमान में केनारा बैंक)	6.82	18.64	25.46
	योग :-	8.26	22.59	30.85

कर्मचारियों की देयतायें (रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	धनराशि
1	मुख्यालय	1.01
2	मेरठ	5.07
3	सण्डीला	408
4	झांसी	5.98
	योग	16.14

आपूर्तिकर्ताओं की देयतायें (रू0 करोड़ में)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	इकाई का नाम	धनराशि
1	मुख्यालय	1.36
2	मेरठ	2.69
3	सण्डीला	5.07
4	झांसी	3.76
	योग	12.88

4.	अन्य विभिन्न देयतायें (मूलधन)	2.74

(रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	धनराशि
1	मुख्यालय	0.48
2	मेरठ	0.82
3	सण्डीला	0.90
4	झांसी	0.54
	योग	2.74

	कुल योग	**62.61**

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	**मदवार विवरण**	**मूलधनराशि**	**ब्याज**	**योग**
1	नोएडा अथारिटी	7.50	-	7.50
2	यूपीएसआईडीसी	1.25	-	1.25
3	यूपीएसएससी	4.59	-	4.59
4	यूपीएसवाईसी	0.10	-	0.10
5	मेरठ (पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0)	0.48	-	0.48
6	झॉसी (दक्षिणाचल विद्युत वितरण निगम लि0)	0.91	-	0.91
7	सण्डीला (हरदोई) (मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0)	0.41	-	0.41
8	नगर निगम, कानपुर	11.37	-	11.37
9	नगर निगम, मेरठ	01.11	-	01.11
10	उ0प्र0 राज्य कर्मचारी बीमा निगम	3.38	-	3.38
	योग	**31.10**	**-**	**31.10**

3- इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 04.12.2023 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में उपलब्ध धनराशि के अनुसार उपरोक्त प्रस्तर-2 में वर्णित उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम/यार्न/संघ लि0, कानपुर की अशासकीय देयताओं के निम्नवत भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की दिनांक 31.03.2023 तक की कुल अनुमानित अशासकीय देयताएं ब्याज सहित रू0-11836.00 लाख है, चूंकि अशासकीय देयताओं में से शासकीय संस्थाओं की देयताओं के ब्याज की धनराशि का भुगतान नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है, अतएव उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की अशासकीय देयताओं के भुगतान हेतु धनराशि रू0 11222.00 लाख निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की दिनांक 31.03.2023 तक की कुल अनुमानित अशासकीय देयताएं ब्याज सहित रू0- 22765.00 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, चूंकि अशासकीय देयताओं में से शासकीय संस्थाओं की देयताओं के ब्याज की धनराशि का भुगतान नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है, अतएव उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की अशासकीय देयताओं के भुगतान हेतु धनराशि रू0 21675.00 लाख निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(3) उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की दिनांक 31.03.2023 तक की कुल अनुमानित अशासकीय देयताएं ब्याज सहित रू0-12950.00 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, चूंकि अशासकीय देयताओं में से शासकीय संस्थाओं की देयताओं के ब्याज की धनराशि का भुगतान नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है, अतएव उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की अशासकीय देयताओं के भुगतान हेतु धनराशि रू0 9371.00 लाख निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4- उपरोक्तानुसार प्रस्तर-3 में इंगित धनराशि के भुगतान से पूर्व निम्नवत् शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत की जा रही उपरोक्त धनराशि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आहरित कर उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0 लि0, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0 तथा उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

(4) कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रस्तुत करना होगा।

(5) स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31.03.2024 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को भेजी जाए।

(6) उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और मानीटरिंग भी करेंगे।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(8) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(9) आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उ0प्र0 कानपुर धनराशि से संबंधित ऑकडों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) प्रकरण में राजस्व सम्बन्धी नियमों-अधिनियमों में दी गयी व्यवस्था तथा औद्योगिक विकास विभाग के सुसंगत नियमों तथा विधि व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) टैक्सफेड समूह की बन्द पड़ी कताई मिलों में प्राधिकरण/नजूल/इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की निहित भूमि को छोड़ कर अन्य भूमि औद्योगिक प्रयोग के लिए प्रयुक्त की जायेगी।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Negotiation के क्रम में भुगतान से पूर्व बैंकों तथा बाण्ड होल्डर्स संस्थाओं/कम्पनियों के सक्षम स्तर से अनुमोदित/स्वीकृत सहमति पत्र प्राप्त हो गयी है।

(13) प्रश्नगत अशासकीय देयताओं सम्बन्धी अन्तिमीकृत धनराशि के सम्बन्ध में Book of Accounts/financial Statements आदि के माध्यम से संतुष्ट होते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि इस सम्बन्ध में due diligence कर लिया गया है।

(14) अशासकीय देयताओं के सम्बन्ध में विभिन्न stakeholders को किये जाने वाले भुगतान के पूर्व यदि प्रकरण न्यायालय/ट्रिब्यूनल आदि में है तो सम्बन्धित द्वारा वापस ले लिया जाये तथा जो सम्पत्ति liquidation में है उसे प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

(15) यह सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्तानुसार की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां संगत अधिनियम/नियम/विनियम/दिशा-निर्देशों के अनुरूप है तथा इनमें कोई विधिक अड़चन नहीं है।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 42268.00 लाख (रूपया चार अरब बाईस करोड अडसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808000942 के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-6-191-X-2023-24, दिनांक 10.01.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(अनीता चौधरी)
अनुसचिव।

<u>संख्या-2/2024/77-1002(099)/1/2023/001-1571, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं०लि0, उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर।

3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं०लि0, उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- वित्त अधिकारी, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं०लि0, उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर।
7- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन।
9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनीता चौधरी)
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।